जांच पर सवाल आठ संदेही चिन्हित, जल्द बेनकाब होंगे नाम, वन विभाग की रडार पर आए प्रभावशील नाम

विधायक-खनन व्यापारी की आपसी रंजिश में जंगली जानवरों का शिकार

नवभारत,जबलपुर। वन परिक्षेत्र सिहोरा के ग्राम घुघरा में स्थित मेसर्स निसर्ग इस्पात प्रा. लि. कंपनी परिसर में मृत अवस्था में मिले तेंदुआ व जंगली सुअर के शव के मामले में वन विभाग की जांच प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने के बाद थम सी गई है। एक यही प्रमुख वजह मानी जा रही है कि वन विभाग ने अभी तक तेंदुआ और जंगली सुअरों के शिकार के मामले में आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं किया है।

वन विभाग के सूत्रों की माने तो तेंदुए के शिकार मामले में कई अहम सुराग वन विभाग की टीम ने जुटा लिए हैं और अब वन विभाग जल्द ही संदिग्ध 7 से 8 लोगों के नाम कोर्ट में प्रस्तुत करने वाली है जिन्होनें तेंदुआ का शिकार किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले में दोषियों के रूप में कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम देने में कहीं न कहीं भूमिका निभाई थी। उधर हाल ही में जबलपुर पदस्थ हुए डीएफओ ने नवभारत को संकेत दे ही दिया कि जल्द ही कोर्ट में जांच पूरी कर संदिग्धों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। मतलब साफ है कि खनन व्यापारी और भाजपा विधायक के आपसी विवाद के चक्कर में जंगली सुअरों और तेंदुआ का शिकार किया जाता रहा और फिर साजिश के तहत एक दूसरे को फंसाने का क्रम चलता रहा। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि वन विभाग के प्रभावशील लोगों के नाम सामने आने के बाद उन पर सख्त एक्शन लेगा या फिर इनको बचाकर ले जाएगा, पूरी सुई अब डीएफओ पर टिकी हुई है।

गौरतलब है कि विगत 24 अक्टूबर की रात को वन परिक्षेत्र सिहोरा के ग्राम घुघरा में स्थित मेसर्स निसर्ग इस्पात प्रा. लि. कंपनी के परिसर में झाड़ियों के बीच एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया था। इस दौरान घटना स्थल के पास से एक जंगली सुअर का शव भी बरामद किया गया था। पीएम जब हुआ तो पता चला कि तेंदुए का शिकार करंट लगाकर किया गया था। इस मौके पर वन विभाग को तेंदुए के 18 नाखून और 4 दांत गायब मिले थे।

सीएम तक पहुंच चुका है पत्र

वन परिक्षेत्र सिहोरा के ग्राम घुघरा में स्थित मेसर्स निसर्ग इस्पात प्रा. लि. कंपनी की ओर से दीपक कुलसानी के द्वारा सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र विगत 26 अक्टूबर 2025 को लिखकर भेजा गया था जिसमें मुख्यमंत्री को बताया गया था कि खनन व्यापारी व विधायक संजय पाठक का महेंद्र गोयनका से आपसी विवाद चल रहा है जिसको लेकर विधायक द्वारा साजिश के तहत तेंदुआ को कहीं और मरवाया और फिर निसर्ग कंपनी के परिसर में लाकर फेंक दिया। पत्र में कंपनी व महेंद्र गोयनका के द्वारा सीएम से ये मांग भी की गई कि तेंदुए के शिकार मामले की बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी से जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र सिहोरा के ग्राम घुघरा में स्थित मेसर्स निसर्ग इस्पात प्रा. लि. कंपनी की खदान करीब 250 एकड़ में फैली हुई है और ये जमीन महेंद्र की पत्नि के नाम पर दर्ज है।

वीडियो जारी कर दी थी सफाई

जानकारी के अनुसार कुछ माह पहले महेंद्र गोयनका ने वीडियो जारी करते हुए सफाई दी थी कि वे पिछले 3 साल से जबलपुर व सिहोरा में आए ही नहीं है और वे व उनकी पूरी फैमिली शाकाहारी है।

वीडियो में उन्होंने साफ किया था कि विधायक संजय पाठक द्वारा साजिश रचकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।

इनका कहना है

वन विभाग के रडार में 7 से 8 लोग संदिग्ध हैं जिनको लेकर जांच प्रक्रियाधीन है। आईओ को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो बिना किसी प्रभावशाली के दवाब के बिना मामले की निष्पक्षता से जांच करे और प्रतिवेदन सामने रखे। तेंदुए के शिकार के मामले में जल्द ही जांच पूरी कर कोर्ट में विभाग की तरफ से बताया जाएगा कि उनकी नजर में 7 से 8 संदिग्ध लोग कौन हैं।

पुनीत सोनकर
डीएफओ जबलपुर

इसलिए खड़े हो रहे सवाल....

सिहोरा के ग्राम घुघरा में स्थित मेसर्स निसर्ग इस्पात प्रा. लि. कंपनी के पास तेंदुआ के पग मार्क्स नहीं मिले हैं, इस इलाके में पिछले लंबे समय से तेंदुआ देखा ही नहीं गया है और कंपनी परिसर में लगी जाली एक जगह से कटी हुई वन विभाग को मिली है। खनन व्यापारी महेंद्र गोयनका के सामने आने के बाद आज तक पूरे मामले में विधायक संजय पाठक सामने नहीं आए और न ही इसको लेकर उन्होंने कोई बयान जारी किया जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यदि तेंदुआ चलकर आया होता तो उसके पैर के निशान वहां होते।

चाकूबाज छर्रा-कटोरी को पांच साल की सजा

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने चाकूबाजी के आरोपी जबलपुर निवासी अनुराग उर्फ छर्रा-कटोरी का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने 22 मई 2025 को मानसू रजक को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। उक्त मामले में गढ़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

दोस्ती में दगा : मदद के नाम पर महिला से ठगा गोल्ड

विश्वासघात करने वाले युवक पर प्रकरण दर्ज

नवभारत, जबलपुर। मदन महल थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी परिचित महिला से आर्थिक मदद के नाम पर करीब 135 ग्राम वजनी सोने के जेवर लिए और विश्वासघात कर जेवर वापस करने के बजाय बाजार में बेच दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि सपना यादव (33) निवासी राइट टाउन की जान-पहचान वर्ष 2017 से नेपियर टाउन निवासी विकास रामनानी पिता श्याम कुमार रामनानी से थी। विकास ने नवंबर 2024 में अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए सपना से मदद मांगी। पीड़िता ने मदद की नीयत से अपना 25 ग्राम सोने का मंगलसूत्र और चैन विकास को दिया ताकि वह बैंक से लोन ले सके। इसके बाद आरोपी ने दोबारा झांसा देकर 106 ग्राम सोना कड़ा, टॉप्स और 70 ग्राम पक्का सोना ले लिया। विकास ने वादा किया था कि वह एक हफ्ते में सारा सोना लौटा देगा।

सुनार के पास जाने के बाद खुला राज

एक साल बीत जाने के बाद भी जब सोना वापस नहीं मिला, तो सपना 22 फरवरी को विकास के घर पहुंची। वहां विकास की मां ने बताया कि उसने सारा सोना बेच दिया है। जब पीड़िता ने उस सुनार से संपर्क किया जहाँ सोना रखा गया था, तो पता चला कि विकास ने 6-7 महीने पहले ही सारा गोल्ड उसे बेच दिया था। हैरानी की बात यह है कि जब पीड़िता ने इस धोखाधड़ी का विरोध किया, तो आरोपी की मां ने मदद करने के बजाय उसे धमकाया। फोन पर कहा कि अगर शांति चाहती हो तो सोना भूल जाओ, विकास 10 साल बाद वापस कर देगा। कुल 135 ग्राम सोने के जेवर की धोखाधड़ी पर मदन महल पुलिस ने आरोपी विकास उर्फ विक्की रामनानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

रखा जाए मेडिकल कॉलेज के नशा मुक्ति ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर में : हाईकोर्ट

जबलपुर। सम्पति संबंधित विवाद के कारण पिता को पुत्र द्वारा नशा मुक्ति केंद्र में बंधक बनाकर रखे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने बंधक पिता को पेश करते हुए उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि बंधक कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। युगलपीठ ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्थित नशा मुक्ति मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर में रखकर उपचार के आदेश जारी किये है। जबलपुर निवासी अक्षय चौधरी की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि दुर्गेश पटेल के पास काम करता है। उनके पुत्र रूपेश पटेल ने पिता दुर्गेश पटेल को जबरन नशा मुक्ति केंद्र में बंधक बनाकर रखा है। हाईकोर्ट के आदेश पर विगत 26 फरवरी को तिलवारा पुलिस ने वृद्ध को हाईकोर्ट में पेश किया था। वृध्द ने युगलपीठ को बताया था कि वह कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस नही लेते है और प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से उसे नशा मुक्ति केंद्र में रखा है। कोर्ट में अनावेदकों की तरफ से बताया गया कि वह भू-माफिया के प्रभाव में है जो प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। युगलपीठ ने पुलिस जांच अधिकारी को वृद्ध की मेडिकल जांच नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर वोर्ड से करवाने के आदेश जारी किये थे। याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गयी। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि वृध्द कई गंभीर से पीड़ित है और उसकी विस्तृत जांच आवश्यक है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57